राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5623/2021

1. कविता विवेक शर्मा
2. हरिश वर्मा
3. महावीर बागरा
4. रवीन्द्र सिंह
5. प्रेम बिहारी माथुर
6. जरनैल सिंह सैनी
7. धर्मेन्द्र मीणा
8. भागीरथ कुमार कटारिया
9. गोविन्द प्रसाद गर्ग
10. राधा कृष्ण कड़वासरा
11. राघवेन्द्र भीका
12. संजीव कुमार शर्मा
13. रवीन्द्र जोधावत
14. नितेश कुमार सैनी
15. शक्ति सिंह शेखावत
16. पंकज औदिच्य
17. मोहित वर्मा
18. विजय सिंह रावत
19. अनिल कुमार कलोड़िया

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव (प्रशासन) एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर–302005 (राज.)
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, जयपुर रोड़, अजमेर।
5. राजश्री माथुर पुत्र श्री प्रशांत माथुर, मानसरोवर जयपुर।
6. जुल्फीकर पुत्र श्री इकबाल खान, बिहारीपुरा, भदरा, हनुमानगढ़।
7. मोनू कंवर पुत्र श्री दातार, तहसील लाडनूं, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.10.2021
आदेश की दिनांक : 26.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री शोभित तिवाड़ी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री आर. के. निगम, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 5, 6 एवं 7 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

निजी प्रत्यर्थी/प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 5, 6 एवं 7 को वर्तमान मामले में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हुए निम्नलिखित अनुतोष चाहा है, जो इस प्रकार है :–

(i) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश क्रमांक 2822 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता से कनिष्ठ अभियंता के पद पर रिवर्ट किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे।

(ii) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2823 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण को कनिष्ठ अभियंता वर्ष 2012–13 दर्शाया गया, को अपास्त फरमाया जावे।

(iii) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2827 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2013 एवं 04.03.2013 के तहत सहायक अभियंता के पद पर माना जाए।

(iv) प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थीगण से उनके वेतन अथवा अतिरिक्त भुगतान आदि से वसूली करने से रोका जाए तथा समस्त पदोन्नति एवं पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति माह जून, 2010 में कनिष्ठ अभियंता (सिविल–डिग्री/डिप्लोमाधारी) राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के तहत हुई थी। आदेश दिनांक 02.03.2013 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. आयोजित की गई। सहायक अभियंता पद के

लिए 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं, जिसमें डिग्रीधारी के लिए कनिष्ठ अभियंता के पद का तीन वर्ष का अनुभव मांगा जाता है और डिप्लोमाधारी से दस वर्ष का अनुभव मांगा जाता है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2013 एवं 27.02.2013 के द्वारा सहायक अभियंता के पद के लिए रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति के लिए अनुभव में 1/3rd की छूट प्रदान की गई और डी.पी.सी. के माध्यम से अपीलार्थीगण की पदोन्नति पर विचार किया गया। डी.पी.सी. दिनांक 02.03.2013 के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2013 एवं 04.03.2013 को अपीलार्थीगण के सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति आदेश रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध जारी किए गए, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट है। आदेश दिनांक 24.07.2020 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम,1998 के नियम 32 के तहत सहायक अभियंता (डिग्री/डिप्लोमाधारी) की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें सहायक अभियंताओं की दिनांक 01.04.2020 से वरिष्ठता दर्शायी गई। सूची में कुछ अपीलार्थीगण डिप्लोमाधारी थे, जिन्होंने डी.पी.सी. दिनांक 02.03.2013 आयोजित होने से पूर्व डिग्री अर्जित कर ली थी, उन्हें भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेवा अभिलेख में सम्मिलित किया गया, जो अनुलग्नक–5 से प्रकट है। अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 2(1) में सेवा अथवा अनुभव को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है :–

> *"2(1) "Service" or "Experience" wherever let down these Rules as a condition for promotion from one service to another or within the service from one category to another or to senior post's, in the case of a person holding a lower post eligible for promotion to higher post shall include the period for which the person has continiously worked on such lower post after regular selection in accordance with Rules promulgated under proviso to Article 309 to the Constitution of India."*

उनका कथन है कि नियम 13 में रिक्तियों का निर्धारण करना बताया गया है और नियम 13(1)(a) में यह प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति अधिकारी वर्ष के एक अप्रेल को वित्तीय वर्ष के दौरान रिक्तियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करेगा। इसी प्रकार नियम 1998 के चैप्टर पांच में पदोन्नति द्वारा भर्ती करने का प्रावधान तथा नियम 27 में चयन करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नियम ये दर्शाता है कि रिक्तियों का निर्धारण, पदोन्नति हेतु अनुभव की गणना करते हुए वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से रिक्तियों का निर्धारण करना अनिवार्य है और कार्मिकों को उनकी अनुभव की गणना करते हुए एक अप्रेल से पदोन्नति हेतु डी.पी.सी.

आयोजित की जानी चाहिए। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.1975 में भी कार्मिक की न्यूनतम अनुभव की गणना करते हुए पदोन्नति हेतु एक अप्रेल से ही डी.पी.सी. आयोजित किए जाने का उल्लेख किया गया है, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 15.1 क में निम्न प्रावधान किया गया है :–

> *''जिन राज सेवकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक अप्रेल की स्थिति में उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, के अनुभव अवधि की गणना पदोन्नति वर्ष की एक अप्रेल से की जाएगी और उसके बाद अर्थात् एक अप्रेल पश्चात् उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत राज सेवकों के अनुभव अवधि की गणना पूर्वानुसार ही अर्थात् 15.1 के अनुसार (निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के एक अप्रेल से पदोन्नति वर्ष के एक अप्रेल तक) की जाएगी।''*

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने भी जय नारायण मीणा बनाम राजस्थान राज्य 1994 (3) डब्ल्यू.एल.सी. (537) में उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निम्न पद का अनुभव की गणना उसकी नियमित नियुक्ति की दिनांक से करते हुए वर्ष के एक अप्रेल से किए जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार सिविल रिट याचिका संख्या 9106/2008 में भी राजस्थान राज्य बनाम भंवर लाल, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7566/2008 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2021 जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता के पद से रिवर्ट किया गया है, जबकि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर वर्ष 2010–11 में हुई थी। वर्ष 2012–13 में कार्मिक विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को 1/3rd की छूट प्रदान कर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2020–21 में प्रशासनिक विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में की गई समस्त पदोन्नति को नियमित करने हेतु पत्रावली वित्त एवं कार्मिक विभाग को भेजी गई। वित्त विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में की गई समस्त डी.पी.सी. को एक बार शिथिलन प्रदान किया गया। वित्त विभाग की राय के अनुसार पंचायती राज विभाग वर्ष 1998–99 से वर्ष 2012–13 तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अभियंता संवर्ग में की गई 142 अधिकारियों की अनियमित पदोन्नति के नियमन हेतु संबंधित डी.पी.सी. वर्षों में पद सृजन के लिए वित्त विभाग द्वारा दिए गए शिथिलन को वर्ष 1998–99 से 2012–13 तक अवधि के लिए ही प्रतिबंधित नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग को यथा आवश्यक संबंधित वर्षों की डी.पी.सी. एवं रिव्यू के आयोजन एवं अनुवर्ती पारिणामिक कार्य वाहियों के निपटान बाबत् पुनः परामर्श दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को

भी वित्त विभाग द्वारा नियमित किए गए परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2021 के द्वारा उनको वर्ष 2020–21 में रिवर्ट कर दिया गया, जबकि अपीलार्थीगण को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2013 एवं 04.03.2013 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थीगण के अनुभव की अवधि की गणना अप्रेल 2010 से और 1/3rd अनुभव की छूट देते हुए की गई। अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर कार्य करते हुए 11 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 10 वर्ष के अनुभव को ना गिनते हुए दिनांक 19.03.2021 को एक रिव्यू डी.पी.सी. की गई, जिसमें अपीलार्थीगण को आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2021 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2012–13 से सहायक अभियंता के पद से रिवर्ट करते हुए उन्हें रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत माना गया, जो उक्त नियमों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जो प्रमाणित जानकारी पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई, जिसमें यह उल्लेखित है कि अभियंता संवर्ग की डी.पी.सी. के संबंध में यह तथ्य भी विचारणीय है कि विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 की डी.पी.सी. के द्वारा पदोन्नत वे सहायक अभियंता जो तत्समय वांछित निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं कर रहे थे, को रिवर्ट किया जाकर उन्हें वर्ष 2020 से पूर्व जिस वर्ष में जितने पद उपलब्ध थे, उसके आधार पर वर्षवार यथा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2019–20 में भी पदोन्नति दिए जाने हेतु संबंधित वर्ष में पदों हेतु वित्त विभाग से सहमति/शिथिलन चाहा गया, जिस पर वित्त विभाग द्वारा दिनांक 13.05.2020 द्वारा स्वीकृत की सीमा में संबंधित डी.पी.सी. वर्ष में सृजित माने जाने के लिए केवल एक वार शिथिलन की सहमति प्रदान की गई, मध्यवर्ती यथा वर्ष 2013–14 से 2019–20 में पदोन्नति हेतु अपेक्षित शिथिलन नहीं दिया गया। वर्ष 2012–13 में पदोन्नत अधिकारी लगातार पदोन्नत पद पर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उक्तानुसार वर्ष 2012–13 में पदोन्नति अधिकारियों को तत्समय पात्रता पूर्ण नहीं करने पर इन्हें संबंधित वर्ष की रिव्यू डी.पी.सी. द्वारा रिवर्ट कर सीधे ही वर्ष 2020–21 में पदोन्नत किए जाने पर संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को दिए गए वित्तीय परिलाभ की वसूली एवं अनावश्यक न्यायालय वाद विवाद की स्थिति का विभाग को सामना करना पड़ेगा। यदि वर्ष 2012–13 के पश्चात्वर्ती वर्ष 2013–14 से वर्ष 2019–20 में भी वित्त विभाग द्वारा संबंधित वर्षों में पात्र होने वाले कार्मिक/अधिकारियों की संख्या अनुसार शिथिलन दिया जाता है तो इससे राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पडेगा तथा माननीय न्यायालय में दायर होने वाले अनावश्यक वाद विवाद से बचा जा सकेगा। वर्ष 2012 में एक बारीय शिथिलन से पदोन्नत हुए अभियंता संवर्गों के अधिकारियों हेतु वर्ष 2013–14

से वर्ष 2019–20 की 7 वर्ष की अवधि में पदो के ऊपर उपलब्धता ना होने से इन पदो के विरूद्ध तत्समय से पदोन्नति पश्चात् कार्यरत रहे अधिकारियों के लिए सेवाओं में निरंतरता एवं लिए गए समस्त परिलाभ अनौचित्यपूर्ण हो जाएंगे। वित्त विभाग की टिप्पणी द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 1998–99 से 2012–13 तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अभियंता संवर्ग में की गई 142 अधिकारियों की अनियमित पदोन्नति के नियमन हेतु संबंधित डी.पी.सी. वर्षों में पद सृजन के लिए वित्त विभाग द्वारा दिए गए शिथिलन को वर्ष 1998–99 से 2012–13 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग को यथा आवश्यक संबंधित वर्षों की डी.पी.सी. एवं रिव्यू के आयोजन एवं अनुवर्ती पारिणामिक कार्यवाहियों के निपटान बाबत् पुनः परामर्श दिया जाता है और यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। इस प्रकार उक्त निर्णय दिनांक 13.07.2021 एवं 29.07.2021 को लिया गया जबकि डी.पी.सी. दिनांक 19.03.2021 को हुई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त टिप्पणी का उल्लेख जवाब में कहीं पर भी नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश में यह कहते हुए अपीलार्थीगण को रिवर्ट किया है कि अपीलार्थीगण निर्धारित अनुभव की योग्यता नहीं रखने के कारण अपात्र होने से रिवर्ट किया जाता है, जबकि वित्त विभाग द्वारा एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अगले वर्ष के लिए रिव्यू डी.पी.सी. करने की सहमति प्रदान की गई, परंतु पद रिक्त होते हुए भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2019–20 के लिए कोई रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित नहीं की गई।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश क्रमांक 2822 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता से कनिष्ठ अभियंता के पद पर रिवर्ट किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे तथा आदेश क्रमांक 2823 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण को कनिष्ठ अभियंता वर्ष 2012–13 दर्शाया गया, को अपास्त फरमाया जावे और आदेश क्रमांक 2827 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2013 एवं 04.03.2013 के तहत सहायक अभियंता के पद पर माना जाए, जो वर्ष 2012–13 से निरंतर सहायक अभियंता के पद का कार्य कर रहे हैं, उनका यथा समय अनुभव पूर्ण होने पर संबंधित वर्ष 2013–14 से 2019–20 की रिव्यू डी.पी.सी. को अतिशीघ्र कराने के निर्देश फरमाए जावें एवं अपीलार्थीगण से

उनके वेतन अथवा अतिरिक्त भुगतान आदि से वसूली करने से प्रत्यर्थी विभाग को रोका जाए तथा समस्त पदोन्नति एवं पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वर्ष 2012–13 की डी.पी.सी. की अभिशंषा दिनांक 02.03.2013 के द्वारा अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अभिशंषा किए जाने पर विभाग के आदेश दिनांक 04.03.2013 एवं 25.03.2013 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई। विभाग के आदेश दिनांक 24.07.2020 के द्वारा दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में विभाग के सहायक अभियंताओं की स्थाई/अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण के तत्समय धारित पद तथा वरिष्ठता अनुसार इनकी वरिष्ठता जारी की गई। उक्त वरिष्ठता दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में जारी की गई थी, जिस समय अपीलार्थीगण के संबंध में वर्ष 2012–13 की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को रिव्यू नहीं किया गया था। इसलिए अपीलार्थीगण को यथा स्थान सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची में दर्शाया गया था।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.1975 का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुभव की गणना, पात्रता की गणना वर्ष की 1 अप्रेल से किये जाने का उल्लेख किया गया है, के संबंध में कोई विभागीय टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। कार्मिक विभाग की पदोन्नति हेतु जारी मार्गदर्शिका परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु सं. 5 में विभागीय पदोन्नति वर्ष के संबंध में परिभाषा दी गई है कि ''विभागीय पदोन्नति वर्ष वित्तीय वर्ष के समान ही होता है अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रेल से आगामी 31 मार्च तक की अवधि विभागीय पदोन्नति वर्ष होता है।'' उक्त परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु सं. 15.1 में अनुभव की अवधि की गणना पदोन्नति वर्ष के 1 अप्रेल तक किये जाने का प्रावधान है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 के द्वारा पदोन्नति की मार्गदर्शिका दिनांक 04.06.2008 में बिन्दु सं. ''15.1 क'' जोडा जाकर निम्नानुसार प्रावधान किये गये – ''जिन राजसेवकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक अप्रेल की स्थिति में उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, के अनुभव अवधि की गणना पदोन्नति वर्ष की एक अप्रेल से की जायेगी और उसके बाद अर्थात् एक अप्रेल पश्चात उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत राजसेवकों के अनुभव अवधि की गणना पूर्वानुसार ही अर्थात् 15.1 के अनुसार

(निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के एक अप्रेल से पदोन्नति वर्ष के एक अप्रेल तक) की जायेगी।'' उक्त परिपत्र द्वारा पदोन्नत राजसेवकों के अनुभव की गणना किये जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये।

विभाग के प्रचलित नियम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में वर्णितानुसार अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु ''सहायक अभियन्ता (कृषि/सिविल अभियान्त्रिकी में डिग्रीधारी) को 5 वर्ष का अनुभव तथा सहायक अभियन्ता (सिविल अभियान्त्रिकी में डिप्लोमाधारी) को 15 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। पदोन्नति हेतु अनुभव की गणना के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं परिपत्र जारी किये जाते है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु सं. 15.1 में वर्णित दिशा–निर्देश तथा परिपत्र दिनांक 31.03.2015 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये है।

वर्ष 2012–13 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गई थी, उक्त पदोन्नतियों में ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता (याचिकार्थी भी सम्मिलित), जिनकी नियुक्ति जून 2010 में हुई थी, को भी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नतियां दी गई थी। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु अनुभव की गणना इनकी नियमित नियुक्ति के पश्चात के 1 अप्रेल से पदोन्नति वर्ष तक के 1 अप्रेल तक की जानी थी। वर्ष 2012–13 में पदोन्नति हेतु अनुभव में 1/3 अवधि का शिथिलन कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त किया गया था। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में दिये गये प्रावधान अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु 3 वर्ष का अनुभव वांछनीय था। उपरोक्त वर्णितानुसार चूंकि तत्समय (वर्ष 2012–13) कार्मिक विभाग द्वारा 1/3 अवधि अर्थात 1 वर्ष की अवधि का अनुभव में शिथिलन प्रदान किया गया था, इसलिए इन्हें 2 वर्ष का अनुभव और वांछनीय था। जून 2010 में नियुक्ति होने के कारण इनके अनुभव की गणना 1 अप्रेल 2011 से किया जाकर पदोन्नति वर्ष अर्थात् 2012–13 की 1 अप्रेल 2012 तक गणना की जानी थी, इस प्रकार इन्हें 1 वर्ष का अनुभव पूर्ण हो रहा था। शिथिलन जोडा जाकर कुल 2 वर्ष का ही अनुभव पूर्ण हो रहा था। इस प्रकार ऐसे अभियन्ता वर्ष 2012–13 में अनुभव की अर्हता नहीं रखते थे जबकि इन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई, जो नियमानुसार उचित नहीं थी। नियमानुसार उचित नहीं होने के कारण सक्षम स्तर से अनुमति एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाकर वर्ष 2020–21 में दिनांक 19.03.2021 को

वर्ष 2012–13 की विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं को रिव्यु किया गया। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 5, 6 एवं 7 की ओर से अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क किया है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5, 6 एवं 7 की प्रारंभिक नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता के पद पर की गई और वरिष्ठता सूची दिनांक 24.07.2021 के अनुसार निजी प्रत्यर्थी का नाम क्रम संख्या 112, 113 एवं 114 पर अंकित किया गया। अपीलार्थीगण को गलत तरीके से सहायक अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति के लिए विचार किया गया। अपीलार्थीगण की नियुक्ति दिनांक 09.06.2010 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और उनका 2 वर्ष का परिवीक्षा काल जून, 2012 में पूर्ण हुआ और इस प्रकार अपीलार्थीगण दिनांक 01.04.2012 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर कन्फर्म नहीं किए गए तथा अपीलार्थीगण को गलत तरीके से सहायक अभियंता संवर्ग में गिनती की गई, जबकि रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध अपीलार्थीगण सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के योग्य नहीं थे। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील में कोई आधार ना होने से खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थीगण की पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के लिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार एवं वांछित अनुभव के आधार पर ही की गई है। रिक्ति वर्ष 2012–13 की डी.पी.सी. मिनट्स दिनांक 02.03.2013 से यह प्रकट है कि 112 प्रतिनियुक्ति पद रिक्त थे, जिसके विरूद्ध 96 पदों पर पदोन्नति दी गई और वित्त विभाग ने 126 सहायक अभियंता पदोन्नति पर विचार किया, जो वैध है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग का निर्णय जो अनुभव में छूट दी गई, को वापिस लेना और अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता वर्ष 2012–13 से 2020–21 से मानना अनुचित व अवैध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तत्समय जो सहायक अभियंता निर्धारित वांछित अनुभव पूर्ण नहीं कर रहे थे, को रिवर्ट किया जाकर उन्हें वर्ष 2020 से पूर्व जिस वर्ष में जितने पद उपलब्ध थे, उसके आधार पर वर्षवार यथा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2019–20 में भी पदोन्नति दिए जाने हेतु संबंधित वर्ष में पदों हेतु वित्त विभाग से सहमति अथवा शिथिलन चाहा गया और वित्त विभाग द्वारा संबंधित डी.पी.सी. वर्ष में सृजित माने जाने के लिए केवल एक बार शिथिलन की सहमति प्रदान की गई और एक बार प्रदान की गई शिथिलता को विभाग द्वारा नहीं रोका जा सकता। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी विभाग

को उन्हें रिवर्ट ना करने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति माह जून, 2010 में कनिष्ठ अभियंता (सिविल–डिग्री/डिप्लोमाधारी) राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के तहत हुई थी। आदेश दिनांक 02.03.2013 एवं दिनांक 22.03.2013 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. आयोजित की गई। कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के लिए डिग्रीधारी के लिए कनिष्ठ अभियंता के पद का तीन वर्ष का अनुभव मांगा जाता है और डिप्लोमाधारी से दस वर्ष का अनुभव मांगा जाता है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2013 एवं 27.02.2013 के द्वारा सहायक अभियंता के पद के लिए रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति के लिए अनुभव में 1/3rd की छूट प्रदान की गई और डी.पी.सी. के माध्यम से अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया, जिसके अनुसार अपीलार्थीगण को 1/3rd की छूट के साथ कार्मिक विभाग के नियमानुसार वर्ष 2013–14 में कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उनके अनुभव की गणना में त्रुटि होने से वर्ष 2012–13 में पदोन्नति की गई जबकि वर्ष 2013–14 के लिए 8 दिवस ही शेष थे। वित्त विभाग की राय अनुसार पंचायती राज विभाग वर्ष 1998–99 से 2012–13 तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अभियंता संवर्ग में की गई 142 अधिकारियों की अनियमित पदोन्नति के नियमन हेतु संबंधित डी.पी.सी. वर्षों में पद सृजन के लिए वित्त विभाग द्वारा दिए गए शिथिलन को वर्ष 1998–99 से वर्ष 2012–13 तक की अवधि के लिए है, प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। पंचायती राज विभाग को यथा आवश्यक संबंधित वर्षों के डी.पी.सी. एवं रिव्यू के आयोजन एवं अनुवर्ती पारिणामिक कार्यवाहियों के निपटान बाबत् पुनः परामर्श दिया गया है। डी.पी.सी. दिनांक 02.03.2013 के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2013 एवं 04.03.2013 को अपीलार्थीगण के सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति आदेश रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध जारी किए गए। वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की अनुमोदन उपरांत शिथिलन के आधार पर अपीलार्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर वर्ष 2012–13 से

2019–20 की पदोन्नति प्रदान की गई और अब उनको पदावनत करना उक्त नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत है। जहां तक अपीलार्थीगण की वांछित निर्धारित अनुभव की योग्यता नहीं रखने के कारण अपात्र होने से रिवर्ट किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थीगण द्वारा सूचना के अधिकार के नियम के तहत मांगी गई जानकारी एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित सूचना में यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की सेवा का अनुभव तीन वर्ष का पूर्ण ना होने से पंचायती राज विभाग को वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा अगले वर्ष 2013–14 से 2019–20 के लिए रिव्यू डी.पी.सी. करने की तथा एक बारीय अनुभव में शिथिलन प्रदान किए जाने की सक्षम स्तर पर अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग रिव्यू डी.पी.सी. वर्ष 2013–14 से 2019–20 के लिए सहायक अभियंता के पद की पदोन्नति के लिए विचार करना चाहिए। चूंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि रिव्यू डी.पी.सी. वर्ष 2013–14 से 2019–20 के लिए सहायक अभियंता के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। आलोच्य आदेश क्रमांक 2822 दिनांक 05.10.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण को कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी) निर्धारित अनुभव की योग्यता नहीं रखने के कारण अपात्र होने से रिवर्ट किया गया है, जबकि अपीलार्थीगण वर्ष 2013 से सहायक अभियंता के पद पर रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत हैं। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थीगण की कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी) निर्धारित अनुभव की योग्यता नहीं रखते हैं। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 2(1) में सेवा अथवा अनुभव को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है :–

> *"2(1) "Service" or "Experience" wherever let down these Rules as a condition for promotion from one service to another or within the service from one category to another or to senior post's, in the case of a person holding a lower post eligible for promotion to higher post shall include the period for which the person has continiously worked on such lower post after regular selection in accordance with Rules promulgated under proviso to Article 309 to the Constitution of India."*

हमारे विनम्र मत में नियम 13 में रिक्तियों का निर्धारण करना बताया गया है और नियम 13(1)(a) में यह प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति अधिकारी वर्ष के एक अप्रेल को वित्तीय वर्ष के दौरान रिक्तियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करेगा। इसी प्रकार नियम 1998 के चैप्टर पांच में पदोन्नति द्वारा भर्ती करने का

प्रावधान तथा नियम 27 में चयन करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नियम ये दर्शाता है कि रिक्तियों का निर्धारण, पदोन्नति हेतु अनुभव की गणना करते हुए वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से रिक्तियों का निर्धारण करना अनिवार्य है और कार्मिकों को उनकी अनुभव की गणना करते हुए एक अप्रेल से पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. आयोजित की जानी चाहिए। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.1975 में भी कार्मिक की न्यूनतम अनुभव की गणना करते हुए पदोन्नति हेतु एक अप्रेल से ही डी.पी.सी. आयोजित किए जाने का उल्लेख किया गया है, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 15.1 क में निम्न प्रावधान किया गया है :–

> *''जिन राज सेवकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक अप्रेल की स्थिति में उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, के अनुभव अवधि की गणना पदोन्नति वर्ष की एक अप्रेल से की जाएगी और उसके बाद अर्थात् एक अप्रेल पश्चात् उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत राज सेवकों के अनुभव अवधि की गणना पूर्वानुसार ही अर्थात् 15.1 के अनुसार (निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के एक अप्रेल से पदोन्नति वर्ष के एक अप्रेल तक) की जाएगी।''*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है, एवं आलोच्य आदेश क्रमांक 2822 दिनांक 05.10.2021 तथा आदेश क्रमांक 2827 दिनांक 05.10.2021 को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी) निर्धारित अनुभव की योग्यता पूर्ण होने पर एवं उक्त नियम एवं परिपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार संबंधित वर्ष 2013–14 से 2019–20 में रिक्त पदों की उपलबधता के अनुसार यथा समय अनुभव पूर्ण होने के वर्ष में सहायक अभियंता के पद की रिव्यू डी.पी.सी. कर पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार किया जावे। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 26.10.2021 की पुष्टि कर प्रावकाश (vacate) किया जाता है। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर सुनिश्चित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य